न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 1132/17 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :–

1 शान्तीदेवी पत्नि स्व0 श्योनारायण यादव जाति अहीर प्रतिवादी 2

2 राजसिंह आत्मज स्व0 श्योनारायण सिंह यादव जाति अहीर

:–– प्रतिवादी सं. 01

3 प्रमिला यादव पत्नि कैलाशचन्द यादव जाति अहीर प्रतिवादी 10

निवासीयान ग्राम गण्डाला तह0 बहरोड जिला अलवर

बनाम

1 सुरेन्द्र सिंह आत्मज जालिम सिंह जाति अहीर
निवासी ग्राम गण्डाला तह0 बहरोड जिला अलवर ।

:–– वादीगण रेस्पो0

2 संतोष देवी पत्नि धर्मपाल जाति अहीर प्रतिवादी 03

3 जितेन्द्र आत्मज धर्मपाल जाति अहीर प्रतिवादी 4

4 कृष्ण आत्मज धर्मपाल जाति अहीर प्रतिवादी 5

5 वीरेन्द्र आत्मज रामनाथ जाति अहीर प्रतिवादी 7

6 राजेन्द्र आत्मज रामनाथ जाति अहीर प्रतिवादी 6

निवासीयान ग्राम गण्डाला तह0 बहरोड जिला अलवर

7 राजेश पुत्र धर्मपाल यादव जाति अहीर निवासी ग्राम गण्डाला तहसील बहरोड जिला अलवर

8 विजय देवी पत्नि जसवीर यादव निवासी ग्राम माजरीकलां तहसील बहरोड जिला अलवर ।

:–– रेस्पो0

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

अपील विरूद्ध निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री उपखंड अधिकारी
बहरोड दिनांक 18.7.17

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्रीमती प्रमिला यादव

2 वकील रेस्पो0 सं0 1 :– श्री अमरसिंह यादव

निर्णय दिनांक 9.3.2018

---

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, बहरोड द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 48/16 में पारित निर्णय दिनांक 18.7.17 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादी का वाद बाबत तकासमा प्रारम्भिक तौर पर डिक्री किया गया है ।

2 बहस में विद्वान वकील अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिये कि विद्वान तहत न्यायालय ने हमको जवाब दावा एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान नहीं किया । हमारी फर्जी तामील कराई गई थी । विपक्षी को बिना सुने पारित किया गया निर्णय अवैधानिक होता है । अतः निवेदन है कि तहत न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त करते हुये मेरी सुनवाई एवं साक्ष्य हेतु प्रकरण रिमांड किया जावे ।

3 जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 का कथन है कि अपीलांट लापरवाह है । इनकी विधिवत तामील हुई थी, परन्तु ये जानबूझकर उपस्थित नहीं हुये थे । इसीलिये इनकी इकतरफा कर दी गई थी । अब अपील प्रस्तुत कर प्रकरण में अनावश्यक देरी करना चाहता है । प्रस्तुत अपील प्रारम्भिक डिक्री के खिलाफ है, जिसमें कुर्रे कायमी होनी है और उसके बाद पक्षकारान की आपत्तियां आमंत्रित की जानी है । अगर अपीलांट को किसी प्रकार का कोई ऐतराज है तो तहत न्यायालय में प्रस्तुत करें । अपील सारहीन है । अतः निवेदन है कि अपील खारिज की जावे ।

4 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । अपील में अपीलांट की मुख्य आपत्ति यही है कि उसे सुनवाई एवं जवाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया है । इस सम्बन्ध में हमने तहत न्यायालय द्वारा प्रस्तुत अपीलाधीन निर्णय एवं अन्य आदेशिकाओं का अवलोकन किया। अपीलाधीन निर्णय में विद्वान तहत न्यायालय ने मात्र इतना

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

सा लिखा है कि अवलोकन किया गया, प्रकरण भूमि बंटवारा का है, प्रारम्भिक डिक्री जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है । यह निर्णय स्पीकिंग ऑर्डर की श्रेणी में नहीं आता है । तहत न्यायालय को चाहिये था कि प्रतिवादीगण की विधिवत तामील कराकर उन्हें जवाब दावा एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान करना चाहिये था । उनके द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में तनकियात कायम कर तनकीवार निर्णय पारित करना चाहिये था । अतः प्रतिवादी से जवाब दावा लेकर पक्षकारान की सुनवाई एवं साक्ष्य उपरान्त तनकीवार निर्णय पारित करने हेतु हम प्रकरण को रिमांड किया जाना न्यायोचित समझती हैं ।

5 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 18.7.17 निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहत न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वो प्रतिवादी से जवाब दावा लेकर तनकियात कायम करते हुये उभयपक्ष की सुनवाई एवं साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित करें । उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वो वास्ते सुनवाई तहत न्यायालय में दिनांक 9.4.2018 को उपस्थित हों ।

6 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजू शर्मा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner